

न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 146/2022 बउनवानी विजेन्द्र कुमार वर्मा बनाम लो.सू.अधि.एवं अति० जिला कले. स०मा०
निवासी, 2 मधुवन कॉलोनी खेरदा, सवाईमाधोपुर

GCMS No-2022/247

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

27.12.2022

पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्त नियत दिनांक को उपस्थित नहीं। लोक सूचना अधिकारी एवं अति० जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्त द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 19.10.2022 को लोक सूचना अधिकारी एवं अति० जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र में उल्लेखित निम्नांकित सूचनाएँ उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गया:-

1. कार्यालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर में मंत्रालयिक कर्मचारी दिनांक 1.4.2022 की स्थिति के अनुसार वरिष्ठ सहायक के कुल स्वीकृत पदों का श्रेणीवार विवरण।
2. कार्यालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर में मंत्रालयिक कर्मचारी दिनांक 1.4.2022 की स्थिति के अनुसार वरिष्ठ सहायक के कुल रिक्त पदों का श्रेणीवार विवरण।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं अति० जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्त को अन्दर मियाद उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं अति० जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्त उपस्थित नहीं हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने कथन किया कि लोक सूचना अधिकारी एवं अति० जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के जवाब नोटिस क्रमांक एफ.3(0)सूकाअ/पोर्टल/2022/1466 दिनांक 09.12.2022 से अवगत कराया कि अपीलान्त द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 19.10.2022 के बिन्दु संख्या 1 लगायत 2 में चाही गयी सूचना, लोक सूचना अधिकारी द्वारा जरिये पत्रांक 1438 दिनांक 29.11.2022 से अपीलान्त को उपलब्ध करवायी जा चुकी है। अतः अपील अपीलान्त खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्त द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत दिनांक 19.10.2022 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 लगायत 2 में चाही गयी सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा जरिये पत्रांक 1438 दिनांक 29.11.2022 से अपीलान्त को उपलब्ध करवायी जा चुकी है। चूँकि चाही गयी सूचना अपीलान्त को उपलब्ध हो चुकी है इसलिए अपील अपीलान्त खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय में सुनवाया गया।



(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर